राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर

जी–3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक सी–स्कीम, जयपुर।
TELEX : 0141-2993119 EMAIL ID : MSRGY@RAJASTHAN.GOV.IN WEBSITE :WWW.MSRGY.RAJASTHAN.GOV.IN

क्रमांक:एफ56(क)(13568)CE/DLB/MSRGY/2025/13150-13460 दिनांकः 17-09-2025

आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी,
नगर निगम/परिषद/पालिका,
समस्त राजस्थान।

विषयः–मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत नगरीय निकायों द्वारा अतिरिक्त बजट हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करने के संबंध में।

प्रसंगः–निदेशालय के पत्रांक 1259–1540 दिनांक 28.02.2025 एवं 11873–12183 दिनांक 22.07.2025 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना अन्तर्गत प्रासंगिक पत्र द्वारा नगरीय निकायों को वार्षिक कार्य–योजना 2025–26 तैयार किये जाने हेतु निर्देश प्रदान करते हुए नगरीय निकाय की श्रेणी अनुसार अन्तरिम बजट प्रावधान किया गया है। श्रमिक रोजगार की स्थिति अनुरूप नगरीय निकायों की अतिरिक्त बजट मांग के संबंध में विभागीय पत्र क्रमांक **11873–1218 दिनांक 22.07.2025** द्वारा निर्धारित दस्तावेजों की पूर्ति कर नवीन कार्यों/कार्य विस्तार के अनुसार संशोधित कार्य–योजना को जिला स्तरीय समिति से अनुमोदित करवाते हुए अतिरिक्त बजट प्रस्ताव निदेशालय को भिजवाये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

नगरीय निकाय द्वारा योजनान्तर्गत तैयार किये गये कार्यों के प्रस्ताव को जिला कलक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक (MSRGY) की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत करने से पूर्व निम्न बिंदुओं की पालना सुनिश्चित की जावे:–

- निकाय क्षेत्र में योजनान्तर्गत पंजीकृत श्रमिकों द्वारा प्रस्तुत रोजगार की मांग अनुसार आवश्यक कार्यो का सृजन करते हुए नियमानुसार तकमीना तैयार कर सक्षम स्तर से स्वीकृत करवाये जावे।
- कार्यो के तकमीने तैयार किये जाने हेतु विभागीय आदेश क्रमांक 1896 दिनांक 06.03.2025 की पालना सुनिश्चित की जावे तथा गणना का आधार RUIDP SOR-2023 तथा श्रम विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 13.12.2024 रखते हुए श्रम मद आंकलित किया जावे।
- प्रस्तावित कार्यों के तकमीने में Labour Component की गणना प्रचलित RUIDP SOR-2023 के दर विश्लेषण (Rate Analysis) अनुसार टास्क एवं विभागीय आदेश क्रमांक 1896 दिनांक 06.03.2025 अनुसार मजदूरी दर के आधार पर आंकलित की जावे तथा RUIDP SOR-2023 में वर्णित Composite items की पूर्ण दरें प्रयुक्त नहीं की जावे।
- तकमीने में श्रम एवं सामग्री मद को पृथक रखा जावे तथा अतिरिक्त आवश्यक राशि की मांग अंतर्गत **मात्र श्रम मद एवं मेट भुगतान** हेतु प्रस्तुत की जावे।
- एक वार्ड/स्थान पर समान नाम के दोहरे (Doubling) कार्य प्रस्तावित नहीं किये जावे।
- योजना के दिशा–निर्देशों अनुरूप निर्धारित प्रपत्रों में कार्यों की समस्त आवश्यक स्वीकृतियां जारी करते हुए कार्यों की पत्रावलियों का संधारण किया जाना सुनिश्चित करावें।

- संशोधित कार्ययोजना का जिला कलक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदन एवं श्रम मद में चाही गई अतिरिक्त बजट मांग की अनुशंषा सहित प्रस्ताव भिजवाये जावे।

उक्तानुसार निदेशालय को अतिरिक्त बजट मांग पत्र भिजवाने से पूर्व नियमानुसार कार्य–योजना संशोधन प्रस्ताव तैयार करावें तथा योजनान्तर्गत प्रदत्त दिशा–निर्देशों एवं मार्गदर्शिका की पालना सुनिश्चित करावें।

(जुईकर प्रतीक चन्द्रशेखर)
निदेशक

क्रमांकःएफ56(क)(13568)CE/DLB/MSRGY/2025/ 13461-13512 दिनांकः 17-09-2025

प्रतिलिपिः–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. जिला कलक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक (MSRGY), समस्त राजस्थान।
4. वित्तीय सलाहकार, निदेशालय, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
6. सुरक्षित पत्रावली।

(अरूण व्यास)
परियोजना निदेशक (MSRGY)

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर

जी–3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक सी–स्कीम, जयपुर।
TELEX : 0141-2993119 EMAIL ID : MSRGY@RAJASTHAN.GOV.IN WEBSITE :WWW.MSRGY.RAJASTHAN.GOV.IN

क्रमांकःएफ56(क)()CE/DLB/MSRGY/2025/1259 – 1540 दिनांकः 28/02/2025

1. **जिला कलक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक (MSRGY), समस्त राजस्थान।**
2. **आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद्/पालिका (समस्त),राजस्थान।**

विषयः–"मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना" की वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु वार्षिक कार्य–योजना तैयार कर 01.04.2025 से कार्य प्रारम्भ करवाये जाने बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि "मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना" अन्तर्गत वर्ष 2025–26 हेतु समस्त नगर निगम/परिषद्/पालिकाओं द्वारा वार्षिक कार्य–योजना तैयार कर अधिक से अधिक जरूरतमंद परिवारों को रोजगार उपलब्ध करवाया जाना है। नगरीय निकायों द्वारा वार्षिक कार्य–योजना वर्ष 2025–26 तैयार किये जाने हेतु निम्नांकित बिन्दुओं की पालना सुनिश्चित की जावेः–

1. वर्ष 2025–26 हेतु कार्यों के प्रस्ताव सर्वप्रथम जिले के प्रभारी निकाय यथा निगम/परिषद् के माध्यम से जिला कलक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति से अनुमोदित करवाये जावे एवं प्रस्ताव में मार्गदर्शिका अनुसार अनुमत कार्यों की श्रेणी अंकित करते हुये प्रत्येक कार्य का पूर्ण नाम, कार्य की लागत, श्रम व सामग्री मद की लागत (अर्द्धकुशल श्रमिक यथा मेट, कुशल श्रमिक एवं सामग्री की गणना), कार्य की अवधि एवं कार्य समाप्ति दिनांक वर्णित करते हुये अनुमोदन के लिये प्रेषित किया जावे।
2. नगरीय निकाय क्षेत्र में पंजीकृत श्रमिकों एवं पोर्टल पर दर्ज मांग अनुसार रोजगार उपलब्ध करवाये जाने के उद्देश्य से आवश्यक मानव–दिवस सृजन हेतु कार्यों का निर्धारण कर शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट (shelf of project) में सम्मिलित किया जावे।
3. योजनान्तर्गत अनुमत कार्य, जो उपयोगी व उपादेयी हो एवं जिनको तकनीकी रूप से करवाया जाना संभव है उनके वित्तीय प्रावधानों का गहनता से आंकलन कर प्राथमिकता से कार्ययोजना में सम्मिलित किया जावे।
4. स्पष्ट पहचान हेतु कार्य का नाम **"मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत (वार्ड संख्या...........), में (कार्य का स्थान........), पर (किये जाने वाले कार्य का विवरण........)"** अनुसार ही तकमीने बनवाये जावे तथा कार्य के टुकड़े कर अलग–अलग नाम से स्वीकृति के लिये प्रस्तावित नहीं किया जावे।
5. निकाय मद से टेण्डर आमंत्रित कर संवेदक से करवाये जा रहे नियमित कार्यों में योजना के श्रमिकों को कन्वर्जेन्स (आदेश क्रमांक 16251 दिनांक 28.07.2023) के माध्यम से नियोजित किये जाने से पूर्व जिला स्तरीय समिति से अनुमोदित करवाया जावे तथा ऐसे कार्यों में आवश्यक मानव दिवस की गणना कर अकुशल श्रमिकों की संख्या का आंकलन किया जावे।
6. कार्यकारी विभाग (PIA) यथा वन विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगरीय विकास विभाग एवं अन्य विभागों के द्वारा योजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों को कार्य–योजना में प्राथमिकता के आधार पर सम्मिलित किया जावे।
7. वर्ष 2025–26 के नवीन कार्यों के तकमीने RUIDP ISoR 2023 के आधार पर दर विश्लेषण (Rate Analysis) अनुसार बनाये जावे तथा प्रत्येक Item का श्रम एवं सामग्री मद का आंकलन पृथक्–पृथक् कर योजनान्तर्गत प्रदत्त निर्देशानुसार **(Detail Estimate मय साइट प्लान, कार्य स्थल के फोटोग्राफ, गूगल मेप आदि संलग्न कर)** तकमीने एवं पत्रावली **विभागीय आदेश 14013–252 दिनांक 20.06.2023 के अनुसार तैयार किये जावे।**
8. वर्ष 2024–25 के अप्रारम्भ/प्रगतिरत कार्यों (शेष मानव दिवस व शेष राशि ही) को कार्य–योजना में सम्मिलित करते समय यह सुनिश्चित किया जावे कि समान नाम के नये कार्यों को वर्ष 2025–26 हेतु प्रस्तावित नहीं किया जावे, जिससे कार्यों का दोहराव न हो। वर्ष 2025–26 हेतु Carry Forward कार्यों में शेष कार्य/राशि/मानव दिवस एवं अनुमानित अवधि की स्वीकृति जिला स्तरीय समिति से प्राप्त की जावे। Carry Forward कार्यों को पुनः पोर्टल पर अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। पूर्व में अपलोडेड कार्य में राशि का परिर्वतन, कार्य समाप्ति का परिर्वतन आदि जिला स्तरीय समिति से अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् पत्र निदेशालय के MSRGY प्रकोष्ठ को प्रेषित किये जावे।
9. वित्तीय वर्ष 2022–23 एवं वित्तीय वर्ष 2023–24 के प्रगतिरत एवं अप्रारंभ कार्यों को दिनांक 31.03.2025 तक पूर्ण करवाया जाना सुनिश्चित करावें। **जो कार्य 31.03.2025 तक अप्रारम्भ रहते है, ... निरस्त एवं**

Signature valid
Digitally signed by Inderjeet Singh
Designation: Director
Date: 2025.02.28 1?:19:34 IST
Reason: Approved

31.03.2025 तक प्रगतिरत कार्यों को यथास्थिति पूर्ण करवाये जाने हेतु जिला स्तरीय समिति से स्वीकृति प्राप्त कर सूचना पोर्टल पर अपडेट करवाया जाना सुनिश्चित करावे।

10. राज्य स्तर से नवीन प्रकृति के कार्य सृजन/कार्यों में परिवर्तन/बीएसआर संशोधन/Wage Rate पुनरीक्षण आदि के निर्देश दिये जाने की स्थिति में जिला स्तरीय समिति से अनुमोदन पश्चात् निकायों द्वारा कार्य-योजना परिवर्तित की जा सकती है। योजना की मार्गदर्शिका की बिन्दु संख्या 9(C) के अनुसार जिला स्तरीय समिति की बैठक मासिक आधार पर आयोजित किये जाने के लिए निर्देशित किया गया है। इस क्रम में प्रत्येक जिला प्रभारी निगम/परिषद् प्रतिमाह इस बैठक को आयोजित किये जाने हेतु प्रस्ताव जिला कलक्टर को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें। जिससे कार्यों की समीक्षा उचित प्रकार से की जा सके। कार्य-योजना में किये गये संशोधन को परिशिष्ट-1 व 2 में समाविष्ट करते हुए सूचना पोर्टल पर अपलोड करवाते हुए निदेशालय को ई-मेल द्वारा अवगत करावें। नगरीय निकायों द्वारा नवीन कार्यों के प्रस्ताव/संशोधन/संविदा कार्मिकों के संबंध में निर्णय आदि सीधे जिला कलक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक को प्रस्तुत नहीं करके जिला प्रभारी नगरीय निकायों के माध्यम से जिला स्तरीय समिति को प्रेषित किया जावे।
11. नवगठित नगर परिषद/पालिका में योजना क्रियान्वयन हेतु विभागीय पत्रांक 1244-1263 दिनांक 27.02.2024 एवं पत्रांक 1134-1151 दिनांक 12.02.2025 अनुसार निर्धारित प्रभारी नगरीय निकायों द्वारा आवंटित नगर परिषद/पालिका की कार्य योजना तैयार कर जिला स्तरीय समिति से अनुमोदन करवाकर कार्य प्रारम्भ करावे।
12. निकाय द्वारा समस्त अनुमोदित कार्यों का विवरण संलग्न परिशिष्ट-1 व 2 में पूर्ण कर दिनांक 15.04.2025 तक पोर्टल पर अपलोड करवाते हुए, निदेशालय के योजना प्रकोष्ठ को ई-मेल (msrgy@rajasthan.gov.in) के माध्यम से अवगत करावें।

वार्षिक कार्य-योजना तैयार करने हेतु अनुमानित वित्तीय प्रावधानः-

योजना के वित्तीय प्रावधान अंतर्गत प्रति निकाय श्रम मद, सामग्री मद एवं प्रशासनिक मद की गणना कर नियमानुसार निर्धारित अनुपात सुनिश्चित किया जावे।

(अ) **प्रशासनिक मदः-** योजनान्तर्गत जिला कलक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा अनुमोदन के पश्चात निकाय स्तर पर नियुक्त संविदा कार्मिको के वेतन/भत्ते भुगतान, योजना के विज्ञापन एवं प्रशासनिक कार्य से संबंधित अन्य व्यय का भुगतान कुल व्यय राशि के अधिकतम 6 प्रतिशत की सीमा मे रखा जावे।

(ब) **श्रम मद (70 प्रतिशत):-** रोजगार हेतु नियोजित अकुशल श्रमिकों को देय कुल राशि (**कुल व्यय का 70 प्रतिशत से अधिक रखा जाना अनिवार्य है**)।

(स) **सामग्री मद (30 प्रतिशत):-** कार्य हेतु नियोजित कुशल श्रमिक, मेट एवं सामग्री का भुगतान कुल व्यय का अधिकतम 30 प्रतिशत (**कुल व्यय का 30 प्रतिशत से कम रखा जाना अनिवार्य है**)।

(द) **कुल प्रावधानः-** श्रम मद + सामग्री मद + प्रशासनिक मद

अतः **वर्ष 2025-26 हेतु अंतरिम कार्य-योजना निकायवार संलग्न सूची अनुसार नगर निगम प्रत्येक को रू. 1.50 करोड़, नगर परिषद् प्रत्येक को रू. 1.00 करोड़ एवं नगर पालिका प्रत्येक को रू. 0.60 करोड़ आवंटित राशि का अधिकतम 1.5 गुना (Time)** तक के कार्यों के प्रस्ताव मय आवश्यक स्वीकृतियां दिनांक 25.03.2025 तक पोर्टल पर अपलोड करवाते हुए दिनांक 01.04.2025 से कार्य प्रारंभ करवाया जाना सुनिश्चित करावें।

संलग्नः- नगरीय निकायों की श्रेणीवार सूची।

(इन्द्रजीत सिंह)
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

क्रमांकःएफ56(क)()CE/DLB/MSRGY/2025/1541-1556

दिनांकः 28/02/2025

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर, राजस्थान।
2. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर, राजस्थान।
3. संभागीय आयुक्त (समस्त), राजस्थान।
4. वित्तीय सलाहकार, निदेशालय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर, राजस्थान।
5. उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
6. स्टेट एम. आई. एस. मैनेजर (MSRGY) को पोर्टल पर अपलोड किये जाने बाबत्।
7. सुरक्षित पत्रावली।

(अरुण व्यास)
परियोजना निदेशक (MSRGY)

Signature valid
Digitally signed by Inderjeet Singh
Designation: Director
Date: 2025.02.28 1?:19:34 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर

जी–3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक सी–स्कीम, जयपुर।

TELEX : 0141-2993119 EMAIL ID : MSRGY@RAJASTHAN.GOV.IN WEBSITE: WWW.MSRGY.RAJASTHAN.GOV.IN

क्रमांकःएफ56(क)(13568)CE/DLB/MSRGY/2025/11873-12183 दिनांकः– 22/07/2025

आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी,
नगर निगम/परिषद/पालिका,
समस्त राजस्थान।

विषयः–मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में नगरीय निकायों को श्रेणीवार निर्धारित बजट सीमा से अतिरिक्त बजट राशि की मांग के सम्बन्ध में।
प्रसंगः–विभागीय पत्र क्रमांक 1259–1540 दिनांक 28.02..2025 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक विभागीय पत्र द्वारा मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत वर्ष 2025–26 हेतु नगरीय निकायों को वार्षिक कार्य–योजना तैयार किये जाने के निर्देश प्रदान करते हुए निकाय श्रेणी अनुसार अंतरिम बजट सीमा हेतु प्रावधान किया गया है। स्थानीय स्तर पर श्रमिक मांग अनुरूप आवश्यक कार्य सृजन एवं क्रियान्वयन हेतु नगरीय निकायों द्वारा वित्तीय वर्ष के आगामी पखवाड़ों के लिए उक्त सीमा के अतिरिक्त बजट की मांग के प्रस्ताव निदेशालय को निम्न सूचना सहित प्रेषित किये जावें। (अतिरिक्त बजट राशि श्रम मद अंतर्गत ही उपलब्ध करवाई जावेगी)

- वर्तमान वित्तीय वर्ष में जारी (Release) राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र।
- गत पखवाड़े तक जारी मस्टररोल तथा रोजगार आवंटित श्रमिकों की पखवाड़ेवार संख्या, उपस्थिति एवं औसत श्रमिक मजदूरी राशि के साथ श्रम मद अंतर्गत व्यय राशि का विवरण।
- वर्तमान वर्ष में आगामी पखवाड़ों में पोर्टल पर दर्ज श्रमिक मांग की संख्या तथा इसके अनुसार अनुमानित व्यय राशि का विवरण।
- जिला स्तरीय समिति से अनुमोदित श्रमिक मांग अनुरूप संशोधित वार्षिक कार्य–योजना।
- जिला स्तरीय समिति से श्रमिक मद हेतु 31.03.2026 तक अतिरिक्त बजट आवंटन की अभिशंषा।

अतः अतिरिक्त बजट मांग प्रकरणों में नगरीय निकायों द्वारा उक्तानुसार आवश्यक स्वीकृतियां जिला कलक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक (MSRGY) की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के माध्यम से अनुमोदित करवाकर वर्ष 2025–26 का श्रम मद मांग पत्र प्रस्ताव निदेशालय को भिजवाये जावें।

(जुईकर प्रतीक चन्द्रशेखर)
निदेशक

क्रमांकःएफ56(क)(13568)CE/DLB/MSRGY/2025/12184-12235 दिनांकः–22/07/2025

प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. जिला कलक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक (MSRGY), समस्त राजस्थान।
4. वित्तीय सलाहकार, निदेशालय, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
6. सुरक्षित पत्रावली।

(नरेन्द्र अजमेरा)
परियोजना निदेशक (MSRGY)